कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मासिक समाचार पत्र

अंक - 44 जनवरी, 2015

श्री नवेद मसूद,
सचिव का.क.मं.

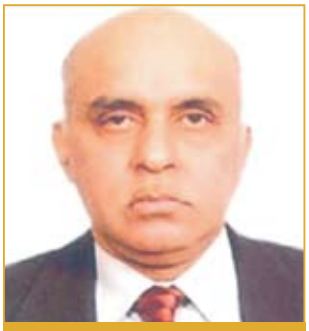

सचिव की कलम से

अत्याधिक प्रतीक्षित नीति दर कटौती और अंतर्राष्ट्रीय वस्तु मूल्यों में महत्वपूर्ण गिरावट के साथ मुद्रास्फीति में गिरावट आने से हमारी अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति मिली है। विश्व बैंक द्वारा जनवरी, 2015 में प्रकाशित 'ग्लोबल इकॉनोमिक प्रोस्पेक्टस' में हमारे अनुमानों को बढ़ाते हुए संशोधित किया गया है जबकि सामान्य रूप से विश्व के लिए विकास में गिरावट अनुमानित की गई है।

नीति निर्माताओं के लिए मुद्रास्फीति में नियंत्रण से काफी राहत मिली है। डब्ल्यूपीआई - आधारित स्फीति में पिछले सात महीनों के दौरान लगातार गिरावट आई है और यह नवंबर-दिसंबर, 2014 के दौरान लगभग शून्य स्तरों पर पहुंच गई है। सीपीआई - आधारित स्फीति भी पिछले कुछ महीनों में निरंतर घटते हुए 4.5% - 5% के अनुकूल स्तर तक पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे देखते हुए रेपो रेट में 25 बेस प्वांइट की कटौती घोषित की है। इस कलैंडर वर्ष के आरंभ में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके प्रति बाजार का प्रत्युत्तर भी पहले से दृष्टिगोचर हो रहा है।

पिछले कुछ माह के दौरान देखे गए लगभग शून्य विस्तार और संकुचन के साथ लगातार अस्थिरता के बाद औद्योगिक निष्पादन में पूर्व माह में (-) 4.2% की तुलना में नवंबर, 2014 में 3.8% की बढ़ोत्तरी देखी गई है। पूंजी वस्तु क्षेत्र और मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्रों में विकास को गति मिली है जिससे अर्थव्यवस्था के लिए आगे बेहतर दिनों का आगमन देखा जा सकता है।

बाहरी क्षेत्र में सूचकांक अधिक प्रोत्साहजनक है इस वित्त वर्ष के पहले अर्ध वर्ष में कैड सकल घरेलू उत्पाद के 1.9% तक घट गया है जबकि पूर्व वर्ष में इसी अवधि में यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% था। तेल मूल्य में 50 डॉलर से कम की गिरावट का लाभ हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिला है परंतु इससे निवेश की लागत घटने से अर्थव्यवस्था को लाभ मिला है और देश में आर्थिक कार्यकलापों में गति आई है। अप्रैल-अक्तूबर, 2014 के दौरान कुल निवेश 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित किया गया जो कि पूर्व वर्ष में इसी अवधि के दौरान 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

सरकार शीघ्र सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। भूमि अधिग्रहण और बीमा क्षेत्र सुधारों से संबंधित हाल ही में जारी दो महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं से व्यापार करने में कानूनी तंत्र के सरलीकरण और प्रक्रिया संबंधी अवरोधों को दूर करने की नीति जारी रखने के सरकार के संकल्प का पता चलता है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय सरकारी प्रक्रिया के सरलीकरण और *''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन''* की मूल नीति को कार्यान्वित करते हुए एक प्रकटीकरण और स्वनियमन आधारित कारपोरेट विधि की ओर बढ़ा है जो रोक, नियंत्रण और अनुमोदन पर आधारित विधि से अलग है। यह मंत्रालय कारपोरेट क्षेत्र के विकास के लिए एक सहायक परिवेश का सृजन करके विवेकपूर्ण नियमन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं कारपोरेट जगत को अपनी सर्वोत्तम सेवाऐं देने का विश्वास दिलाता हूं और कारपोरेट क्षेत्र, निवेशकों और अपने देशवासियों को एक लाभकारी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय सरकारी प्रक्रिया के सरलीकरण और ''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'' की मूल नीति को कार्यान्वित करते हुए एक प्रकटीकरण और स्वनियमन आधारित कारपोरेट विधि की ओर बढ़ा है जो रोक, नियंत्रण और अनुमोदन पर आधारित विधि से अलग है।

लोकसभा में पारित कंपनी संशोधन विधेयक, 2014 : मंत्रालय ने सरल नियमन की अपनी नीति के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन में आनी वाली कतिपय कठिनाइयों और संदेहों का शीघ्रता से समाधान किया है। कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 में प्रस्तावित प्रकटीकरण, व्यापार अनुकूल प्रावधानों के प्रति कंपनियों के दायित्व से कोई समझौता किए बिना इसे 17.12.2014 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओँ में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः (i) कंपनियों के लिए न्यूनतम प्रदत्त शेयरपूंजी अपेक्षाओँ का प्रतिबंध हटाना; (ii) केंद्र सरकार को अधिकतम सीमा जिससे अधिक लेखापरीक्षक को केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना अपेक्षित है, निर्धारित करने का अधिकार देना; (iii) आम संकल्प द्वारा संबंधित पार्टी संव्यवहार के अनुमोदन की अनुमति देना; (iv) ऐसे अपराध जिनके लिए दो वर्ष या अधिक का दंड दिया जाना है की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय और; (v) धोखाधड़ी को छोड़कर अन्य मामलों में जमानत देने पर प्रतिबंध हटाना।

इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए संशोधित कार्य योजना: भारत अपने भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ सुमेलन करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा। सुमेलित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अपनाना वित्त वर्ष 2015-16 में स्वैच्छिक है। बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों, बीमा कंपनियों, नॉन बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) आदि जिनका निवल मूल्य 500 करोड़ रूपए या अधिक है, के लिए 2016-17 से इंड एएस अपनाना अनिवार्य है। वर्ष 2017-18 और इसके बाद से 250 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य वाली कंपनियों और जो कंपनियां सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध करने की कार्यवाही कर रही है, भी इंड एएस अपनाएगी।

लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा नियम संशोधित किया गया: विभिन्न व्यावसायिक निकायों ने कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के कतिपय प्रावधानों के लागू होने पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति की दिनांक 02.12.2014 की अनुसंशाओं पर विचार करने के पश्चात्, कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 में दिनांक 31.12.2014 से संशोधन प्रभावी किया है। इस संशोधन की प्रमुख विशेषताएं हैं : (i) लागत लेखांकन अभिलेखों के रख-रखाव और लागत लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसमें शामिल क्षेत्रों का पुनरीक्षण; (ii) लागत लेखांकन अभिलेखों के रख-रखाव और लागत लेखापरीक्षा के लिए न्यूनतम सीमा को तर्कसंगत बनाना; (iii) उत्पादों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क शीर्षों को अपनाना; और (iv) लघु और मध्यम उद्यमों को छूट।

विलय पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कार्यशाला: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा 1-2 दिसंबर, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क विलय कार्यशाला का उद्घाटन श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त, कारपोरेट कार्य और सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में विलय प्रवर्तन में प्रतिस्पर्धा एजेंसियों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विद्यमान तंत्र की समीक्षा की गई। ''विलय उपायों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रभावी फ्रेमवर्क के निर्माण'' पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री महोदय ने इस अवसर पर ''कंपीटीशन ट्रैकर'', भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों का एक संकलन, भी जारी किया।

श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त, कारपोरेट कार्य और सूचना और प्रसारण मंत्री अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क विलय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए

एमसीए ई-बुक : कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने मंत्रालय के कार्यकलापों पर सुलभ संदर्भ के रूप में एक इलेक्ट्रोनिक पुस्तिका (ई-बुक) प्रकाशित की है, जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे के साथ इसके महत्वपूर्ण कार्यकलापों

और उपलब्धियों पर संक्षिप्त विवरण शामिल है। यह ई-बुक मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर देखी जा सकती है।

निवेशक सुरक्षा और जागरूकताः-

1. दिसंबर, 2014 के दौरान तीन व्यवसायिक संस्थानों (अर्थात् भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान) के सहयोग से देश के विभिन्न कस्बों/शहरों में 47 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

2. दिसंबर, 2014 के अंत तक 3316 कंपनियों ने उनके पास बकाया निवेशकों की अदत्त एवं अदावी राशि (शेयर आवेदन राशि, लाभांश, डिबेंचर, जमा आदि) को iepf.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया। यह वेबसाइट कंपनियों के पास पिछले सात या कम वर्ष की निवेशकों की अदत्त एवं अदावी राशि, जो अभी निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में हस्तानांतरित की जानी है, ताकि निवेशक कंपनी से उक्त राशि का दावा कर सकें, का विवरण फाइल करने के लिए बनाई गई है। दिसंबर, 2014 के अंत तक कंपनियों द्वारा बताई गई कुल राशि 4178.41 करोड़ रूपए है।

कारपोरेट क्षेत्र की पुनरीक्षा

1. दिनांक 31.12.2014 तक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों की संख्या 14.39 लाख थी। इनमें से 2.63 लाख कंपनियां बंद कर दी गई और 28,023 कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। 1.39 लाख कंपनियों ने लगातार तीन से अधिक वर्ष से अपनी वार्षिक विवरणी/तुलन-पत्र (अर्थात् वार्षिक सांविधिक फाइलिंग) दायर नही की है। अन्य शब्दों में, पिछले अट्ठारह महीनों के भीतर निगमित 1.15 लाख कंपनियों सहित (वार्षिक सांविधिक फाइलिंग बकाया नहीं है) लगभग 10.07 लाख सक्रिय कंपनियां है।

2. दिसंबर, 2014 के दौरान कंपनी अधिनियम, के तहत 6.234.23 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ 277 एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) सहित कुल 6,446 कंपनियां पंजीकृत की गई। नई निगमित कंपनियों का वर्गवार विवरण निम्नलिखित हैः-

कंपनी का प्रकार	दिसंबर, 2014 में पंजीकृत कंपनियों की संख्या	कुल प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रूपए में)
(1)	(2)	(3)
शेयर के आधार पर लि. कंपनियां	**6424**	**6233.53**
जिनमें से		
(क) निजी	6274	1091.82
जिनमें से		
एक व्यक्ति कंपनियां	277	590
(ख) सार्वजनिक	150	5141.71
गारंटी के आधार पर लि. कंपनिया	**20**	**0.68**
जिनमें से		
(क) निजी	20	0.68
(ख) सार्वजनिक	0	0
अनलिमिटेड कंपनियां (निजी)	**2**	**0.02**
जिनमें से		
(क) निजी	2	0.02
(ख) सार्वजनिक	0	0
कुल	**6446**	**6234.23**

3. शेयरों द्वारा सीमित कंपनियों की श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों में दिल्ली से सर्वाधिक संख्या (1,193) में पंजीकरण हुए, उसके बाद महाराष्ट्र (947) और उत्तर प्रदेश (662) हैं। आर्थिक गतिविधि-वार सर्वाधिक कंपनियां (2,878) व्यवसायिक सेवाओं के तहत पंजीकृत की गई।

4. दिसंबर, 2014 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत छः राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम (एसएलपीई) और पांच केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) 37.81 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ पंजीकृत किए गए। निगमित किए गए एसएलपीई हैं: 1. बुरहानपुर सिटी

ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड; 2. आंध्र प्रदेश ब्राह्मण वेलफेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड; 3. औरंगाबाद इंडस्ट्रीयिल टाउनशिप लिमिटेड; 4. ग्रेटर मोहाली सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड; 5. बिस्वा बंगला मार्केटिंग कारपोरेटशन लिमिटेड; और ओडिसा मिनरल बेरिंग एरियाज डेवेलपमेंट कारपोरेशन। निगमित सीपीएसयू निम्नलिखित है : 1. मोहिंदरगढ़, भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड; 2. एसआईपीएटी ट्रांसमिशन लिमिटेड; 3. रायपुर-राजनंदगांव-वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड; 4. छत्तीसगढ़-डब्ल्ययूआर ट्रांसमिशन लिमिटेड; एवं 5. कर्नाटक विजय नगर स्टील लिमिटेड। कारपोरेट क्षेत्र में विकास के बारे में अधिक सांख्यिकीय ब्यौरे के लिए पाठक कृपया URL : mca.gov.in/MinistryV2/InformationBulletin.htmlपर 'कारपोरेट क्षेत्र संबंधी मासिक बुलेटिन' देखें।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यक्रम में उपस्थिति :

1. दिनांक 12.12.2014 को नई दिल्ली में श्री नवेद मसूद, सचिव, एमसीए ने आईएफआरएस के साथ इंड एएस के समाभिरूपण पर कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विशेष सचिव, अपर सचिव एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

2. दिनांक 22.12.2014 को नई दिल्ली में श्री नवेद समूद, सचिव, एमसीए ने 'इम्प्रूविंग ईजी ऑफ डुइंग विजनेस इन इंडिया' से संबंधित सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक में भाग लिया।

आईआईसीए में हुए मुख्य कार्यक्रम :

1. **डिजाइनिंग द एंटी ट्रस्ट एंड मर्जिंग रेमेडिज पर कार्यशाला - दिनांक 03.12.2014** को भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) एवं यू.एस. फेडरल ट्रेड कमीशन ने 'डिजाइनिंग द एंटी ट्रस्ट एंड मर्जर रेमेडिज' पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों के अधिकारियों, कंपनियों के विधि सलाहकारों एवं छात्रों ने भाग लिया।

2. **आईसीएलएस परिवीक्षाधीनों के लिए प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम :** दिनांक 15.12.2014 को आईआईसीए में भारतीय कम्पनी विधि सेवा (आईसीएलएस) के पांच परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रवेशन प्रशिक्षण के प्रथम चरण की शुरूआत हुई। इस प्रशिक्षण की कुल अवधि 10 माह है जिसमें क्लास रूम कोर्स एवं विभिन्न संस्थानों के साथ संलग्न प्रशिक्षण शामिल हैं।

सीसीआई में मुख्य कार्यक्रम :

1. श्री अशोक चावला, अध्यक्ष, सीसीआई ने दिनांक 15-18 दिसंबर, 2014 के दौरान पेरिस, फ्रांस में ओईसीडी प्रतिस्पर्धा समिति एवं इसकी वर्किंग पार्टी बैठक में भाग लिया।

2. दिनांक 1.12.2014 को नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) एवं प्रतिस्पर्धा कमीश्नर, प्रतिस्पर्धा ब्यूरो कनाडा (सीबी) के बीच प्रतिस्पर्धा विधि के प्रयोग में सहयोगिता संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 2014 आईसीएन मर्जर कार्यशाला की पार्श्व रेखा पर था। श्री अशोक चावला, अध्यक्ष, सीसीआई एवं श्री जॉन पेकमैन, कमीश्नर, सीबी द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

3. डॉ. सीमा गौड़, सलाहकार (आर्थिक) एवं श्री नंदन कुमार, संयुक्त निदेशक (आर्थिक) ने 1-5 दिसंबर, 2014 के दौरान दिल्ली, भारत में प्रतिस्पर्धा पर आयोजित 6वें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी), व्यापार समझौता समिति (टीएनसी) बैठक एवं तीसरे आरसीईपी वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया।

4. यू.एस. फेडरल ट्रेड कमीशन से श्री डैनियल डुकोर एवं श्री पॉल ओ ब्राइन और संयुक्त राज्य न्याय विभाग से सुश्री पैटी ब्रिंक एवं सुश्री मिशल रिनडोन ने दिनांक 3.12.2014 को सीसीआई में आयोग एवं सीसीआई के अधिकारियों के साथ अपने आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए एवं संयुक्त राज्य एजेंसियों, प्रकियाओं एवं प्रभावी राहत की संरचनाओं पर बातचीत करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया।

Design | Print | chandupress@gmail.com

Compiled and Published by: Research and Analysis Division, B-1 Wing, Second Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
For further details on the contents of this Newsletter, Please visit website: www.mca.gov.in